मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल जी डमटाल, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा, (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.1.2015 से 31.12.16

भाग–एक

1 **प्रारम्भिक**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)ग(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा(ए)3–3/85–पार्ट–II, दिनांक 17.1.1989 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के दृष्टिगत मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल जी, डमटाल के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी मन्दिर न्यास के आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में पद पर कार्यरत रहे :–

क्रमांक	नाम व पदनाम	अवधि
1)	श्री अश्वनी सूद (एस0डी0एम0 नूरपुर)	1.1.15 से 14.3.2015
2)	श्री जोगिन्द्र सिंह वर्मा, तहसीलदार	15.3.15 से 31.12.16

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्र0 सं0	विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	सावधि जमा निवेश से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करना	5	1530.66
2	प्लाटों/दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	9	22.20
3	गलत वेतन निर्धारित करने के कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान	18	0.49
4	क्रय की गई मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करना	20	0.13
5	निर्माण बिलों से आयकर व बिक्री कर के रूप में की गई कटौती जमा न करना	21	0.98

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"A"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर मन्दिर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि चिन्ताजनक है। अतः मन्दिर प्रशासन द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाये

तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को यथासमय अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारा हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल जी डमटाल, के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री हरदेव सिंह शांडिल, सहायक नियन्त्रक व श्री सुनील कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.2.2018 से 9.3.2018 के दौरान मन्दिर परिसर, में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 1/2015, 1/2016 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 7/2015 व 3/2016 चयनित किए गए।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर अधिकारी/प्रभारी मन्दिर न्यास द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना तथा सूचना/अभिलेख प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹29400 आंका गया है, जिसे राजकीय कोष मे जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेजने हेतु मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 2 दिनांक 8.3.2018 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल जी डमटाल के अधिकारियों द्वारा **परिशिष्ट–"B-I"** में प्रस्तुत मन्दिर न्यास की अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही

वर्ष	आरम्भिक शेष	पावतियाँ	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्त शेष
2015	148458121	6147842	14223009	168828972	10984195	157544777
2016	157844777	9110255	14805172	181760204	23903566	157856638

Bank & FDR Balances as on 31.12.2016

Sr.No.	Bank Name	A/C No.	Amt.
1	K.C.C. Damtal	9913	3704373
2	SBI Damtal	9832	709793
3	KCC Kandrodi	5648	131577
4	SBP Kandrodi	4011	29439
5	SBP Nurpur	8358	38036
6	Himanchal Gramin Bank Nurpur	2139	95224
7	PNB Damtal	6648	384699
		Total	**5093141**
	Cash in hand		1059
	FDR		152965778
		Grand Total	**158059978**
	Cash book balance as on 31.12.16		157856638
	Bank and FDR balances as on 31.12.16		158059978
	Difference		203340
	Bank Reconciliation as on 31.12.16		
	Particulars		Amt.
	Closing balance of cash book as on 31.12.16		157856638
Add:	Cheque issued but not presented for payment		481746
Less:	Cheque deposited in the bank but not credited by bank		(-)265000
Less:	Less expenditure entered in cash book		(-)329
Add:	Intrest not entered in cash book		7134
	Total		**158080189**
	Banks and FDR balances as on 31.12.16		**158059978**
	Difference		**2021**

(ख) रोकड बही का बैंक के साथ नियमित रूप से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.16 को ₹20211 का अन्तर

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.12.16 को रोकड़ बही व बैंक खातों में जमा राशियों के अन्तशेष में ₹20211 कर अन्तर था। अन्तर का विस्तृत विवरण उक्त पैरा 4 में दिया गया है जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग

को भी अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही के अन्तशेष का बैंक खातों के अन्तशेष से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 निवेश

दिनांक 31.12.2016 तक मन्दिर न्यास द्वारा ₹152965778 का निवेश सावधि जमा योजना में किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट–''B-2''** पर दिया गया है

(क) सावधि जमा में निवेश की गई राशियों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2013 से 31.12.14 के पैरा संख्या 5 के अनुसार सावधि खातों में दिनांक 31.12.14 को ₹147437395 निवेशित थी परन्तु इन राशियों को किस किस तिथियों को भुनाया गया तथा इन पर परिपक्वता पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ तथा परिपक्वता पर पुनः निवेश किन किन खातों में किया गया, से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त **परिशिष्ट–''B-2''** में निवेशित राशियों की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है तथा इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। भविष्य में इन सावधि खातों के लिए एक अलग रजिस्टर का रख रखाव किया जाये तथा इसमें दिनांक 31.12.2016 को सावधि खातों में निवेशित प्रत्येक एफ0डी0आर0 के लिए एक अलग पृष्ठ आबंटित किया जाए। जिसमें एफ0डी0आर0 का खाता संख्या निवेशित राशि व निवेशित की तिथि व परिपक्वता की तिथि व प्राप्त राशि का विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि एफ0डी0आर0 के रख रखाव में किसी प्रकार की अनियिमतता की सम्भावना न रहे तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) निष्क्रिय बचत बैंक खातों को बन्द करने बारे

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल जी डमटाल के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास के नाम पर निम्नलिखित बैंकों में बचत खाते गत कई वर्षों से बिना किसी लेनेदेन के चल रहे है। इन खातों को बिना लेन–देन के चालू रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को तुरन्त बन्द करवाकर जमा ₹162699 को मुख्य बचत खाते में जमा किया जाएः–

Sr.No.	Bank Name	A/C No.	Date of last Transcation	Balance as on 31.12.16
1	Himachal Gramin bank Nurpur	2139	3.3.14	95224
2	SBP Kandrodi	4011	30.6.11	29439
3	SBP Nurpur	8358	5.3.11	38036
		Total		**₹162699**

6 प्राप्त आय को देरी से बैंक खातों में जमा करने बारे

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल जी डमटाल के माह 1/15 व 1/16 के दौरान प्राप्त आय से सम्बन्धित रसीदों की जाँच में पाया गया कि रसीदों द्वारा प्राप्त होने वाली राशि को समय पर मन्दिर ट्रस्ट के खाते में जमा न कर कई दिनों तक हस्तगत रखकर राशियों का अस्थाई दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण निम्नानुसार है जबकि मन्दिर न्यास में प्राप्त राशियों को उसी दिन या उससे अगले कार्य दिवस को मन्दिर न्यास के खातों में जमा करना अपेक्षित था। अतः न्यास इस बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करें और भविष्य में प्राप्त होने वाली आय को उसी दिन या उससे अगले कार्यदिवस को न्यास खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्राप्ति का अस्थाई दुरूपयोग न हो सके।

Sr.No.	Receipts No.	Date of Receipts	Amt of Receipts	Date of Deposit in bank
1	1892	15.1.16	1500	9.2.16
2	1896	15.1.16	1500	9.2.16
3	1900	21.1.16	904	9.2.16
4	1913	27.1.16	2478	9.2.16
5	1914	29.1.16	21	9.2.16
6	1719	5.1.15	904	16.1.15
7	1720	5.1.15	693	16.1.15
8	1732 to 1734	2.2.15	3000	12.2.15

7 सोना एवं चांदी

(क) **सोना** :– मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाए गए **परिशिष्ट–"C"** के अनुसार सोने की स्थिति निम्न प्रकार से है

विवरण	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त सोना	अन्तशेष
वर्ष 2015	29.500 ग्राम	0	29.500 ग्राम
वर्ष 2016	29.500 ग्राम	0	29.500 ग्राम

(ख) **चांदी :–** मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट–"C"** में उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की चांदी की प्राप्ति मन्दिर न्यास के खातों में नहीं दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अन्तशेष के अनुसार मन्दिर न्यास की चांदी की स्थिति निम्न प्रकार से रही:–

विवरण	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त सोना	अन्तशेष
वर्ष 2015	511 ग्राम	——	511 ग्राम
वर्ष 2016	511 ग्राम	——	511 ग्राम

8 रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न किया जाना

(क) अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में बहुत अधिक कटिंग व ओवर राईंटिंग की गई थी। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 में भी उल्लेख किया गया था परन्तु रोकड़ बही के रख रखाव में कोई सुधार नहीं किया गया था तथा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान भी बहुत सी कटिंग व ओवर राईंटिंग की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल है। अतः इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही मे कटिंग व ओवर राईंटिंग न की जाये ताकि रोकड़ बही में अनियमितता की सम्भावना न रहे तथा भविष्य में रोकड़ बही में कटिंग व ओवर राईंटिंग होने की स्थिति में इन्हें मन्दिर अधिकारी से सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

(ख) रोकड़ बही के सत्यापन न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि माह 8/2016 से 12/2016 तक की रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया जिसके अभाव में आय/व्यय की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः रोकड़ बही को सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 दुकानों के किराये के बकाया ₹22.20 लाख वसूली हेतु शेष

मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट–डी व डी–1** को सूचना के अनुसार दिनांक 31.12.2016 को दुकानों के किराये की ₹2219676 वसूली हेतु शेष थी

क्रम संख्या	शीर्ष	31.12.2016 को बकाया राशि
1	उपायुक्त कांगड़ा द्वारा अनुमोदित किराया	1021169
2	उपायुक्त कांगड़ा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया किराया	1198507
	कुल जोड	**₹2219676**

दिनांक 31.12.16 तक इतनी अधिक राशि का वसूली योग्य शेष रहना स्वतः ही आपत्तिजनक है। अतः मन्दिर प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र प्रयास किए जाऐं तथा समय पर किराये की वसूली न होने की स्थिति में इसकी वसूली दण्ड ब्याज सहित की जानी सुनिश्चित की जाए।

10 नियमानुसार दुकानों के किराये में बढ़ौतरी न करना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–''E''** में दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न किरायदारों को जिस दिनांक से जितना किराया लगाया गया था उतना ही किराया अभी तक वसूल किया जा रहा है अर्थात दिनांक 3.1.1996 से लगभग 22 वर्षों के पश्चात भी पुरानी दरों पर ही किराये की वसूली की जा रही है, जबकि किराया अधिनियम के अनुसार प्रत्येक 5 वर्षों के उपरान्त मूल किराये में वृद्धि की जानी अपेक्षित होती है। अतः किराये मे नियमानुसार बढ़ोतरी न करने के कारण मन्दिर निधि को प्रतिवर्ष वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस संदर्भ में यह भी परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार प्रत्येक किरायेदार के किराये में प्रत्येक पाँच वर्ष उपरान्त वृद्धि की जानी सुनिश्चित की जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

11 मन्दिर की जमीन के किरायेदारों से किराये की वसूली न करना तथा किरायेदारों से जमीन का कब्जा भी न छुडवाना

परिशिष्ट–''D-1'' में वर्णित विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों को मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर की जमीन किराये पर दी गई है, परन्तु इनसे किराया वसूलने की अनुमति आयुक्त मन्दिर महोदय से प्राप्त नहीं की गई है तथा उक्त किरायेदारों से जो किराये की वसूली की भी जा रही थी उसकी वसूली भी वर्ष 2012 से बन्द कर दी गई है। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को

बताया गया कि किराये पर दी गई जमीन, किरायेदारों के कब्जे में है तथा उनका कार्य/व्यापार सुचारू रूप से चला हुआ है। अतः मन्दिर की जमीन विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों के कब्जे में होते हुए भी उनसे न तो जमीन का किराया वसूला जा रहा है न ही कब्जे को छुडवाया गया है जो स्वतः ही गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। इस अनियमितता को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में भी दर्शाया गया था परन्तु न तो मन्दिर न्यास के द्वारा इन दुकानों के किराए को अनुमोदित किया गया और न ही किसी तरह की वसूली की गई है जिस कारण मन्दिर न्यास को वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। अतः सुझाव दिया जाता हे कि इन किरायेदारों से किराये की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास स्तर पर आन्तरिक जाँच करके इस प्रकार की समस्त जमीनों का कब्जा छुडवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 मन्दिर अधिग्रहण से पूर्व के पट्टेदारों से किरायों/लगान की मांग न करना तथा पट्टा अवधि समाप्त होने पर भी पट्टे का नवीकरण करने अथवा भूमि को अपने कब्जों में लेने हेतु कार्रवाई न करना

(क) **परिशिष्ट–"F"** में वर्णित विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों को मन्दिर की जमीन मन्दिर अधिग्रहण से पूर्व दी गई थी तथा दिनांक 3.1.1996 को मन्दिर के अधिग्रहण के पश्चात उक्त पट्टेदारों से लगान की मांग ही नहीं की गई। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को बताया गया कि उक्त पट्टेदार अधिग्रहण की दिनांक से आज दिनांक तक लगभग 19 वर्षों तक बिना कोई लगान दिए मन्दिर की भूमि पर अपना कार्य/व्यवसाय सुचारू रूप में कर रहे हैं। इस प्रकार पिछले 22 वर्षों से किराये/लगान की मांग न करना स्वतः ही एक गम्भीर अनियमितता है, जिसके फलस्वरूप मन्दिर न्यास को प्रतिवर्ष लाखों रुपयों की वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। इस अनियमितता को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में भी दर्शाया गया था परन्तु मन्दिर न्यास के द्वारा इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस प्रकरण में मन्दिर न्यास स्तर पर भी आन्तरिक जाँच करके उचित कार्यवाई अमल में लाते हुए वर्ष 1996 से लगान की वसूली ब्याज सहित की जाये व भविष्य के सन्दर्भ में भी सुझाव दिया जाता है कि उक्त पट्टेदारों से किराये/लगान की वसूली हेतु कोई ठोस नीति बनाई जाये ताकि मन्दिर की आय में वृद्धि की जा सके।

(ख) इसके अतिरिक्त अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि **परिशिष्ट–"G"** मे वर्णित विभिन्न पट्टेधारियों की पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है, परन्तु यह जमीन अभी भी पट्टेधारियों के कब्जे में है। इनमें से कुछ पट्टेधारियों की पट्टा अवधि तो वर्ष 1992 से समाप्त हो चुकी थी। अतः पट्टा अवधि समाप्त होने पर भी मन्दिर न्यास द्वारा जमीन को

अपने कब्जे में न लेना तथा पट्टा अवधि का बाजारी भाव में नवीनीकरण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन प्रकरणों में मन्दिर न्यास स्तर पर भी आन्तरिक जाँच करके उचित कार्रवाई अमल में लाते हुए सभी पट्टाधारियों का किराया वर्तमान बाजारी भाव दरों के दृष्टिगत पुनः निर्धारित किया जाए व लीज डीड का नवीकरण किया जाए।

(ग) मन्दिर न्यास अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार कई पटटाधारियों की पटटा अवधि 2012 से 2014 के मध्य में समाप्त हो चुकी थी परन्तु मन्दिर द्वारा इसका कब्जा वर्ष 2017 से लिया गया जिसके कारण मन्दिर को वित्तीय हानि उठानी पड़ी। पटटे का कब्जा विलम्ब से लेने तथा कब्जा मन्दिर के नाम न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

13 गल्ले (अनाज) के रूप में 4200 किलोग्राम अनाज की कम वसूली करना व गल्ले (अनाज) की मात्रा में बढ़ौतरी न करना

(क) अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ व्यक्ति मन्दिर भूमि का प्रयोग कृषि हेतु कर रहे हैं तथा उनसे भूमि के लगान की वसूली गल्ले (अनाज) के रूप में की जाती है, परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान उनसे 3224 किलोग्राम गल्ले (अनाज) की कम वसूली की गई है, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"H"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मन्दिर न्यास के द्वारा 31.12.2016 तक 4200 किलोग्राम गल्ले/अनाज की मात्रा वसूली हेतु बकाया थी। अतः इस बकाया गल्ले/अनाज की वसूली शीघ्र करके इसे मन्दिर के अनाज/भण्डार में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाये।

(ख) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट–"I"** में वर्णित विभिन्न कृषकों से गल्ले की वसूली पिछले 16 वर्षों से एक ही दर की जा रही है। इस अनियमितता को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 13 में भी दर्शाया गया था परन्तु मन्दिर न्यास के द्वारा गल्ले/अनाज की दरों में वृद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि अनाज/गल्ले की दरों में उचित वृद्धि की जाये जिससे मन्दिर न्यास को अधिक अनाज गल्ले की प्राप्ति हो सके।

14 मन्दिर जमीन से कम प्राप्त आय के बारे

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट–"J"** के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार श्री राम गोपाल मन्दिर न्यास के नाम हिमाचल प्रदेश राजस्व रिकॉर्ड में 16870 कनाल व पंजाब राजस्व रिकॉर्ड में 548 कनाल 7 मरले भूमि अर्थात कुल 17418 कनाल 7

मरले भूमि दर्ज है। उपरोक्त जमीन से प्राप्त आय का मन्दिर की समस्त साधनों से प्राप्त कुल आय के साथ तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	**जमीन से प्राप्त आय**	**कुल आय**	**जमीन से प्राप्त आय प्रतिशत में**
2015	733000	20370851	3.5%
2016	1364323	23915427	5.7%

उपरोक्त विववरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–2016 में जमीन से प्राप्त आय का मन्दिर की कुल आय में बहुत कम योगदान है, जिसके कारण स्पष्ट किया जाए तथा यह भी परामर्श दिया जाता है कि भू–साधनों का समुचित दोहन करके मन्दिर की आय को बढ़ाने के ठोस प्रयत्न किए जाएं।

15 श्री राम गोपाल मन्दिर डमटाल की चकी खडड की भूमि की बोली (नीलामी) में पाई गई अनियमितताऐंः–

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल डमटाल की चकी खडड की भूमि की बोली/नीलामी द्वारा भेड़ बकरियों की चिराई हेतु देन की नस्ती के पृष्ठ 3 के अनुसार श्री राम गोपाल मन्दिर डमटाल की चकी चिराई की भूमि श्री मीरजा खान सुपुत्र श्री मोहम्मद जुसफ को दिनांक 9.12.15 को की गई सर्वाधिक नीलामी/बोली द्वारा ₹25000 में चिराई हेतु दी गई। इस भूमि की बोली की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(1) उक्त बोली जिन मन्दिर न्यास सदस्यों की उपस्थिति में की गई थी उनका न तो अभिलेख में नाम दर्शाया गया न पद।

(2) उक्त बोली किस तिथि को दी गई इसका भी कोई विवरण अभिलेख में नहीं दिया गया।

(3) उक्त नस्ती के पृष्ठ 5, 7, 9 व 13 के अनुसार 4 बोली दाताओं द्वारा उन्हें चिराई पे भूमि देने हेतु आवेदन/प्रार्थना पत्र सहायक आयुक्त मन्दिर एवं एस0डी0एम0 नूरपुर को दिए गए परन्तु उनके प्रार्थना पत्र पर कोई भी तिथि नहीं लिखी गई व न ही उक्त पत्र कार्यालय में डायरी किए गए और न ही कार्यालय के किसी अधिकारी या न्यास के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किए गए।

(4) उक्त नीलामी की सूचना के विज्ञापन किन किन सूचना पटटों/सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए इसका विवरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

(5) उपरोक्त चकी खडड नस्ती के पृष्ठ 1 पर बोलीदाताओं की दिनांक 9.12.2015 को की गई बोली की तुलनात्मक विवरणी जिसमें श्री मीरजा खान द्वारा ₹25000 की अधिकतम बोली दी गई थी, को किसी भी अधिकारी/न्यास सदस्य द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया था।

अतः उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 5 में दर्शाई गई टिप्पणियों के मध्य नजर चकी खडड की उक्त भूमि की बोली की सत्यापना की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी तथा उक्त बोली की प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत होती है तथा इसकी विभागीय स्तर पर जाँच की जाये तदानुसार वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत किया जाए।

16 संस्थापना पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने बारे

परिशिष्ट–"K" के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2015 में संस्थापना पर व्यय बजट प्रावधानों से अधिक व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	शीर्ष	बजट में प्रावधान	व्यय की गई राशि	अन्तर
2015	मन्दिर कर्मचारियों के वेतन व भत्ते	2800000	3082735	282735

अतः बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

17 ₹2950 के व्यय का दोहरा भुगतान किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 289 दिनांक 17.11.2015 (कैश बुक पृष्ठ 77) द्वारा मै0 शर्मा स्टेशनरज मार्ट नजदीक सरकारी महाविद्यालय इन्दौरा तहसील इन्दोरा, जिला कांगड़ा को उनके बिल संख्या 460 दिनांक 28.10.15 द्वारा स्टेशनरी की मदों के खरीद हेतु ₹2950 का भुगतान किया गया था। परन्तु उपरोक्त बिल की डुप्लीकेट प्रति पर माह 12/2015 की रोकड़ बही के पृष्ठ 88 पर वाउचर संख्या 317 दिनांक 15.12.2015 द्वारा पुनः दूसरी बार मै0 शर्मा स्टेशनर्ज मार्ट, को ₹2950 का भुगतान किया गया। इस प्रकार एक ही बिल का दो बार भुगतान किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में सम्बन्धित व्यक्ति से दोबारा/अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने हेतु तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुर्नावृति न दोहराई जानी सुनिश्चित की जाये।

18 गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹0.49 लाख का अधिक भुगतानः–

(क) श्री राजिन्द्र सिंह चालक को वेतन व भत्तों के रूप में ₹0.41 लाख का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री राजेन्द्र सिंह, चालक को सेवा पुस्तिका में निर्धारित किया गया वेतन, वास्तव में आहरित वेतन व नियमानुसार जो वेतन निर्धारित किया जाना था, में भिन्नता पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1 श्री राजेन्द्र सिंह, चालक

Pay Scale =5910-20200-1900

Date of appointment (11-5-2000)

दिनांक/विवरण	सेवा पुस्तिका में दर्ज/निर्धारित मूल वेतन	नियमानुसार संशोधित मूलवेतन जो बनता था	बिलों के अनुसार वास्तव में आहरित मूल वेतन
Pay as on 1.6.10	7710+1900=9610	7710+1900 GP=9610	
Pay after first ACP four years + nine years a on 1.6.10	7710+290+300+2000 =10300	8000+1950 GP=9950 (9 years ACP) 8300+2000=10300	
By annual increment on 1.1.11	8300+310+2000=10610	8610+2000 GP=10610	
By annual increment on 1.1.12	8610+320+2000=10930	8930+2000=10930	
By annual increment on 1.1.13	8930+330+2000=11260	9260+2000=11260	
By annual increment on 1.1.14	10160+340+2000=12500	9600+2000=11600	
11.5.14 ACP after 14 year	10500+2000=12500	9950+2400=12350	
By annual increment on 1.1.15	10500+2000=12500	10320+2400 GP=12720	10890+2400 GP=13290
By annual increment on 1.1.16	10890+2400=13290	10710+2400GP=13110	11290+2400 GP=13690

उपरोक्त विवरणानुसार सेवा पुस्तिका में गलत वेतन निर्धारित करने के कारण तथा सेवा पुस्तिका में दर्शाये गये वेतन से ज्यादा वेतन, वेतन बिलों के अनुसार अनियमित रूप से आहरित करने के कारण उक्त कर्मचारी को निम्नविवरणानुसार ₹40739 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार अनियमित रूप से इस अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकार की पूर्ण छानबीन भुगतान बिलों वाउचर से की जाए तथा छानबीन में अधिक भुगतान करने की स्थिति में अधिक भुगतान की गई राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। साथ ही यह प्रकरण आगामी उचित कार्रवई हेतु मन्दिर न्यास के उच्चधिकारियों के विशेष रूप से ध्यानार्थ लाया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि चालक का वेतन निर्धारण बिना किसी कार्यालय आदेश व बिना विभागीय पदोन्नति समिति की स्वीकृति से किया गया प्रतीत होता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

अवधि	**आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)**	**देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)**	**अन्तर (₹ में)**	**अधिक भुगतान की राशि**
1.1.14 से 10.5.14	10500+2000GP =12500	9600+2000GP =11600	900+DA (100%=900	1800 x 4m 10 days=7780
11.5.14 से 30.6.14	10500+2000GP =12500	9950+2400 GP=12350	150+DA (100% 150	300 x 1m 21 day=503
1.7.14 से 31.12.14	10500+2000GP =12500	9950+2400 GP=12350	150+DA (107%=160	310x6=1860
1.1.15 से 30.6.15	10890+2400GP =13290	10320+2400 GP=12720	570+DA(113% =644	1214x6=7284
1.7.15 से 31.12.16	10890+2400 GP=13290	10320+2400 GP=12720	570+DA (119%)=768	1248x6=7488
1.1.16 से 30.6.16	11290+2400 GP=13690	10710+2400 GP=13110	580+DA (125%)=725	1305x6=7830
1.7.16 से 31.12.16	11290+2400 GP=13690	10710+2400 GP=13110	580+DA (130%)=754	1334x6=8004
			Total	**40739**

(ख) श्री हबीब हुसैन, सेवादार को वेतन व भत्तों के रूप में ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इसी प्रकार श्री हबीब हुसैन, सेवादार की सेवा पुस्तिका में निर्धारित किया गया वेतन, वास्तव में आहरित वेतन व नियमानुसार जो वेतन निर्धारित किया जाना था, में भिन्नता पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

श्री हबीब हुसैन, सेवादार

Pay Scale =4900-10680+1300GP

Date of appointment=1.2.2005

दिनांक/विवरण	सेवा पुस्तिका में दर्ज/निर्धारित मूल वेतन	नियमानुसार निर्धारित मूलवेतन जो बनता था	बिलों के अनुसार वास्तव में आहरित मूल वेतन
Pay as on 1.6.10	5810+1300=7110	5810+1300=7110	
Pay after 1st ACP after four years+nine years as on 1.6.10	6030+1400=7430	6030+1400=7430	
By annual increment on 1.2.11	6260+1400=7660	6260+1400=7660	
By annual increment on 1.2.12	6490+1400=7890	6490+1400=7890	
By annual increment on 1.2.13	6730+1400=8130	6730+1400=8130	
By annual increment on 1.2.14	6980+1400=8380	6980+1400=8380	
2nd ACP after nine year as on 1.2.14	7240+1650=8890	7240+1650=8890	
By annual increment on 1.2.15	7240+1800=9040	7510+1650=9160	7520+1800=9320
By annual increment on 1.2.16	7520+1800=9420	7790+1650=9440	7800+1800=9600

उपरोक्त विवरणानुसार सेवा पुस्तिका में दर्शाये गये वेतन से ज्यादा वेतन वेतन बिलों के अनुसार अनियमित रूप से आहरित किया गया तथा दिनांक 1.2.15 को बिना किसी कार्यालय आदेश बिना किसी औचित्य के ग्रेड पे ₹1800 का भुगतान किया गया है। परिणामस्वरूप उक्त सेवादार को अवधि 1.2.15 से 31.12.16 तक ₹8168 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः उपरोक्त कर्मचारी को ₹8123 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण की पूर्ण छानबीन भुगतान बिलों/वाउचर से की जाए तथा छानबीन में अधिक

भुगतान करने की स्थिति में अधिक भुगतान की राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। यह प्रकरण आगामी उचित कार्रवाई हेतु मन्दिर न्यास के उच्चाधिकारियों के विशेष रूप से ध्यानार्थ में लाया जाता है।

अवधि	**आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)**	**देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)**	**अन्तर (₹ में)**	**अधिक भुगतान की राशि (₹ में)**
1.2.15 से 30.6.15	7520+1800=9320	7510+1650=9160	160+DA (113%)180	340x5=1700
1.7.15 से 31.12.15	7520+1800=9320	7510+1650=9160	160+DA (119%)190	350x6=2100
1.1.16 से 31.1.16	7520+1800 GP=9320	7510+1650=9160	160+DA(125%) 200	360
1.2.16 से 30.6.16	7800+1800GP=9600	7790+1650=9440	160+DA (125%)=200	360 x5=1800
1.7.16 से 31.12.16	7800+1800 GP=9600	7790+1650=9440	160 DA (130%)=208	368x6=2208
			Total	**8168**

(ग) श्रीमती संदेश देवी, लिपिक को बिना किसी कार्यालय आदेश व बिना वेतन निर्धारण किए ₹3200 ग्रेड पे का भुगतान किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमती संदेश देवी, लिपिक को बिना किसी कार्यालय आदेश के व बिना विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति व बिना वेतन निर्धारित किए ₹3200 ग्रेड पे का भुगतान दिनांक 1.1.15 से किया गया है। इस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त वेतन निर्धारण के कार्यालय आदेश जारी किए जाए अन्यथा बिना वेतन निर्धारण किए ₹3200 ग्रेड पे की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

(1) श्रीमती संदेश देवी, लिपिक को वेतन व भतों के रूप में ₹534 का अधिक भुगतान

वेतन बिलों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ जाँच करने के दौरान पर पाया गया कि श्रीमती संदेश देवी, लिपिक को देय वेतन की अपेक्षा उच्च दर से भुगतान बिल/वाउचर में वेतन आहरण करने के कारण ₹534 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी पूर्ण छानबीन करके नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान

की राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1.1.15 से 30.6.15	11680+3200GP=14880	11670+3200GP=14870	10+11DA (113%)=21	21x6=126
1.7.15 से 31.12.15	11680+3200GP=14880	11670+3200GP=14870	10+12DA (119%)=22	22x6=132
1.1.16 से 30.6.16	12130+3200 GP=15330	12120+3200GP=15320	10+13DA (125%)=23	23x6=138
1.7.16 से 31.12.16	12130+3200GP=15330	12120+3200GP=15320	10+13DA (130%)=23	23x6=138
			Total	**534**

19. (क) निर्माण कार्य में ₹752 का अधिक भुगतान

Name of Work:-Special Repair of Langer Hall, Temple Shri Ram Gopal Damtal H.P.

Name of Contractor:- Shri Rakesh Kumar

Award letter No./:-No.656 Dt. 28.9.15

Estimated Cost:- ₹351000

उपरोक्त कार्य के दूसरे व अन्तिम चलत बिल में अनुबन्ध की अनुमोदित दरों की अपेक्षा अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹752 का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जायें

वा0 न0	दिनांक	एमबी न0 व पेज न0	मद का नाम	एमबी में मद की क्र0सं0	मात्रा	अनुबन्ध के अनुसार दर	भुगतान की गई दर	अन्तर	अधिक भुगतान की गई राशि
37	3/16	50/46	P/L cement concrete 1:6:12 crushed stone agreegate 40 mm	19	0.85	1750	2500	750	0.85x750=637.50
			P/F M/S frame work welding and hold fast" teen frame complete 40x40x60 mm Angel iron	20	38.15 Kg	62	65	3	38.15x3 =114.45
								Total	**751.95**

(ख) ठेकेदार से दण्ड शुल्क के रूप में ₹0.45 लाख की वसूली न करना

उक्त निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया गय कि उक्त निर्माण कार्य अवार्ड पत्र संख्या 658 दिनांक 28.9.2015 द्वारा आबंटित किया गया था तथा उक्त कार्य अवार्ड पत्र की तिथि के सात दिन पश्चात शुरू किया जाना अपेक्षित था तथा उक्त कार्य को पूर्ण करने की अवधि 60 दिन थी। इस प्रकार उक्त कार्य 5.12.15 को पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु इस कार्य की एम0बी0 में कार्य पूर्ण की तिथि न दर्शाकर वर्क इन प्रोग्रेस दर्शाया गया था। परन्तु कार्य के अन्तिम बिल का भुगतान दिनांक 2.3.2016 को किया गया था। इस प्रकार उक्त कार्य को विलम्ब से पूर्ण किया गया प्रतीत होता है तथा कार्य के अनुबन्ध की शर्त संख्या 12 के अनुसार कार्य को निर्धारित तिथि के पश्चात पूर्ण करने पर टैन्डर ₹451096 का 10 प्रतिशत अर्थात ₹45109 दण्ड शुल्क के रूप में ठेकेदार से वसूल किया जाना अपेक्षित थां इस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दण्ड शुल्क के रूप में ठेकेदार से ₹45109 की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

20 क्रय की गई ₹0.13 लाख की मदों का भण्डार रजिस्टर में नियमानुसार सही ढ़ंग से रख रखाव न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न मदों के क्रय हेतु लगाए गए स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार सही ढ़ंग से नहीं किया गया था। मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न मदों के क्रय के वाउचर संख्या दिनांक व वाउचर की राशि ही स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर दर्ज की गई थी। स्टॉक रजिस्टर में विक्रेता का नाम बिल संख्या खरीदी गई मद का नाम व मात्रा इत्यादि का कोई विवरण नहीं दिया गया था जबकि नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में प्रत्येक मदको अलग पृष्ठ पर दर्ज किया जाना अपेक्षित था तथा वस्तु जिस विक्रेता से क्रय की गई उसका नाम बिल संख्या खरीदी गई मद का नाम व मात्रा इत्यादि तथा उस मद की खपत का विवरण दिया जाना अपेक्षित था। परन्तु स्टॉक रजिस्टर में उपरोक्त कोई विवरण नहीं दिया गया था जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई निम्न ₹13270 की वस्तुओं की सत्यापना की जाँच नहीं की जा सकी। अतः स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा खरीद की गई ₹13270 की मदों तथा चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में खरीदी गई

मदें जिस विक्रेता से क्रय की गई उसका नाम बिल संख्या खरीदी गई मद का नाम व मात्रा इत्यादि तथा उस मद की खपत का विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। ताकि इन मदों के क्रय में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे तदानुसार अनुपालना से विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	**Vr.No./Date**	**Name of Supplier & Bill No. & date**	**Name of item**	**Quantity**	**Rate**	**Amt.**	**Total**
1	174/1.7.15	M/S Sharma Stationary Mart Indora, Bill No. 512 dt. 8.12.15	A4 Rim, paper	3	150	450	
2	50/10.3.16	M/S Swaroop Stationery Mohlaty	File Board	7	20	140	610
			Pen	2	10	20	
			Stamp pad	1	40	40	
			Register	2	50	100	
3	-do-	M/S Sharma Stationer Mart Indiora Bill No. 537/22.2.16	A4 Rim, paper	2	210	210	
			File Cover	50	5	250	
			File Board	10	20	200	
			V5	2	60	120	
			Noting Sheet	6	190	1140	
			Bag	1	900	900	2920
4		M/S Sharma Stationer Mart Indiora Bill No. 585/23.2.16	Register	4	50	200	
			A4 Rim, paper	2	210	420	
			File Board	20	20	400	
			Markar	2	20	40	
			Bag	1	100	100	
			Tag Small & Big	2	60	120	
			Envelops	10	20	200	
			V5 pen	4	60	240	
			Noting Sheet	2	190	380	
			Gum	1	60	60	
			Tresing paper	10	5	50	2210
5		M/S Sharma	A-4 Rim	2	210	420	

		Stationer Mart Indiora Bill No. 537/22.2.16					
			V/5 pen	4	60	240	
			Register	4	50	200	
			File board	10	20	200	
			Pen	10	10	100	
			File Cover	50	5	250	
			noting Sheets	2	190	380	
			Gum	1	60	60	
			Tresting paper 10	10	5	50	
			Pencil	2	70	140	2040
6	39/1.3.16	M/S Shiva Cyber café Nil	Court Fees bill	Nil	Nil	390	390
7	43/1.3.16	M/S crestuve security system Pathankot bill No. 175 dt. 15.2.16	HCL Computer window loading service charges	1	350	350	
			12 a tonner re filling service charges	1	500	500	850
8		M/S crestuve security system Pathankot bill No. 174 Dt. 6.2.16	HP-1522 Laser printer power card changed	1	2500	2500	
			36 A tonner cartage	1	1750	1750	4250
						Total	**₹13270**

21 निर्माण कार्यों से कटौती की गई आयकर व बिक्रीकर की (Sale Tax) ₹0.98 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना

मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर और आयकर की कटौती निम्नविवरणानुसार की गई है परन्तु काटे गए बिक्री कर और आयकर को मन्दिर न्यास द्वारा सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा काटे गए बिक्री कर व आयकर की कटौतियों को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाकर अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

Sr.	Vr.No./date	Name of work	% of Income tax/sales tax deducted	Amt.
1	175/3.7.15	C/O Retaining wall to protect Bawdi	1 % I tax 2% sale tax	2167 4333
2	175/3.7.15	C/O Ramleela stage	1 % I tax 2% sale tax	979 1958
3	178/17.7.15	C/O Go Sadan at shree Ram Gopal Temple	1 % I tax 2% sale tax	4045 8090
4	179/20.7.15	C/O of drain and tiles floring near old Bawadi	1 % I tax 2% sale tax	1217 2434
5	47/9.3.16	Special repair cum paving concret in temple approach road	1 % I tax 2% sale tax	1775 3549
6	62/18.3.16	Provinding bardard wire fencing in Go Sadan	1 % I tax 2% sale tax	8548 17096
7	63/18.3.16	Restoration cum conservation of FRES COES painting at shree Ram Gopal Temple	1 % I tax 2% sale tax	11200 22400
			Total	**₹97870**

22 गरीब लड़कियों के विवाह हेतु दी गई आर्थिक सहायता की रसीदें प्राप्त न करना

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल मन्दिर के द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान गरीब अनाथ लडकियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रति विवाह ₹5000 का भुगतान किया गया था परन्तु इन भुगतानों से सम्बन्धित कोई भी रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की थी जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार निम्नलिखित भुगतानों से विरूद्ध वास्तविक प्राप्तकर्ता के पावतियाँ प्राप्त की जाए।

क्र0सं0	नाम	वा0सं0	दिनांक	राशि	चैक सं0
1	श्री दौलत राम सुपुत्र श्री बीरबल सिंह	213	30.8.15	5000	251687
2	श्री भायाम लाल सुपुत्र श्री तुलसी राम	214	2.10.15	5000	450474
3	श्री सिकन्दर लाल सुपुत्र श्री जगत सिंह	214	2.10.15	5000	450475
4	श्री भवदीन सुपुत्र श्री मनदीप	214	2.10.15	5000	117744
5	श्री भायाम चन्द सुपुत्र श्री हरनाम सिंह	231	2.10.15	5000	4050567
6	श्री दीपक कुमार सुपुत्र श्री लाल चन्द	231	2.10.15	5000	4550568
7	श्री बुदी सिंह सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द		2.10.15	5000	4550569
8	श्री हरबंश लाल सुपुत्र श्री साबु राम	231	2.10.15	5000	4550570
9	श्रीमती मंजु बाला सुपुत्री श्री बीर सिंह	231	2.10.15	5000	4550272

10	श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री प्रीतम चन्द	231	2.10.15	5000	4550573
11	निर्मला देवी पुत्री श्री चन्दू लाल	231	2.10.15	5000	4550575
12	पूजा देवी पुत्री श्री बीर सिंह	231	2.10.15	5000	4550576
13	शकुन्तला देवी पत्नी श्री गुरदयाल सिंह	231	2.10.15	5000	4550574
14	भोली पत्नी श्री ध्यान चन्द	231	2.10.15	5000	4550577
15	कमली देवी	290	17.11.15	5000	4507567
16	सन्तोष कुमारी पत्नी श्री उजागर सिंह	290	17.11.15	5000	4508431
17	पूजा देवी सुपुत्री श्री गोरख सिंह	290	17.11.15	5000	450845

23 ₹329 का अधिक भुगतान किया जाना

मै0 तुलसी स्वीट हाउस को वाउचर संख्या 186 दिनांक 2.8.2016 द्वारा (चैक संख्या 252506 दिनांक 2.8.2016) ₹2081 के स्थान पर ₹2410 का भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त विक्रेता को ₹329 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

24 रसीदों के स्टॉक रजिस्टर का उचित प्रकार से रख रखाव न किया जाना

मन्दिर न्यास द्वारा रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में छपवाई गई रसीदों की क्रम संख्या तथा समय–समय पर प्रयोग हेतु जारी की गई रसीदों की संख्या तथा शेष रसीद बुकों का कोई विवरण स्टॉक रजिस्टर में नहीं दिया गया था। जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। अतः भविष्य में रसीदों के लिए पृथक से स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव किया जाये जिसमें छपवाई गई जारी की गई व रसीदों का क्रम संख्या अनुसार विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि रसीदों के प्रयोग में अनियमितता की सम्भावना न रहे।

25 गाड़ी की औसत तेल खपत का निर्धारण न करना व वाहन चार्जिज की वसूली न करना

(क) गाड़ी नम्बर एच0पी0–40 ए–0055 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि गाड़ी की औसत तेल खपत का निर्धारण किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं करवाया गया था, जबकि नियमानुसार गाड़ी की औसत तेल खपत का सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 28 (क) में भी उल्लेख किया गया था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा गाड़ी की औसत

तेल खपत सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं करवाई गई जिसे बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान चर्चा में बताया गया उक्त वाहन संख्या एच0पी0 04 ए.–0055 को 24.6.16 को नीलामी हेतु उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला ले जाया गया तथा इस वाहन की नीलामी कर दी गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 5.3.18 द्वारा उक्त निलामी पर प्राप्त राशि व निलामी से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उक्त नीलामी पर प्राप्त राशि की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(ग) आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय आदेश संख्या एम0डी0एम0/कांगड़ा–1307–1317 दिनांक 2.11.10 के अनुसार जिन मन्दिर अधिकारी/प्रभारी के अधीन (Attached) कार्यालय की गाड़ी है उनके द्वारा कम से कम ₹300 प्रमिमाह की दर से वाहन चार्जिज जमा करवाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा वाहन चार्जिज मन्दिर निधि में जमा नहीं करवाए। अतः वाहन चार्जिज की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षणाधीन अवधि 1.1.2015 से 24.6.2016 हेतु ₹300 प्रतिमाह की दर से ₹5340 की वसूली उचित स्त्रोत/तत्कालीन अधिकारियों से की जानी सुनिश्चित की जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

26 प्रतिभूति रजिस्टर का रख रखाव न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा जंगलों की चिराई व आम के बागों की नीलामी से पूर्व प्राप्त प्रतिभूति राशि को स्टॉक रजिस्टर में ही दर्ज किया गया था। जबकि प्रतिभूति राशि के लिए अलग से रजिस्टर का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था। अतः प्रतिभूति राशि की प्राप्ति व भुगतान के लिए एक अलग प्रतिभूति रजिस्टर का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसमें प्रतिभूति जमाकर्ता का नाम प्राप्त राशि की रसीद संख्या व दिनांक तथा प्रतिभूति राशि की प्राप्ति का उद्देश्य दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि प्रतिभूति राशि के भुगतान में अनियमितता की सम्भावना न रहे।

27 ई0पी0एफ0 रजिस्टर को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के वेतन बिलों से ई0पी0एफ0 की कटौतियाँ की गई थी परन्तु ई0पी0एफ0 की कटौती से सम्बन्धित रजिस्टर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 8.3.2018 द्वारा मन्दिर न्यास से अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण के समाप्ति तक उक्त रजिस्टर को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित रजिस्टर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28 बिजली के बिलों के भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव न करनाः

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बिजली के बिलों के रख–रखाव के लिए अलग से बिजली के भुगतान के रजिस्टर का रख रखाव न करके बिजली के बिलों को स्टॉक रजिस्टर में ही दर्ज किया गया था। तथा उसमें वाउचर संख्या व बिजली बिल की भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त अन्य कोई विवरण नहीं दिया गया था जबकि बिजली के बिलों के भुगतान के लिए अलग से बिल रजिस्टर का रख रखाव किया जाना चाहिए था तथा उसमें प्रत्येक बिल की बिल संख्या मीटर नम्बर खाता संख्या को रजिस्टर के एक अलग पृष्ठ पर दर्ज किया जाना अपेक्षित था तथा उसी पृष्ठ पर प्रत्येक बिजली के भुगतान के बिल की नई व पुरानी मीटर रीडिंग दर्ज की जानी अपेक्षित थी ताकि बिजली की खपत की जाँच की जा सके तथा बिजली के भुगतान के बिलों में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। अतः बिजली के बिल के रजिस्टर का रख रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में बिजली के बिलों के लिए उक्त विवरणानुसार रजिस्टर का रख रखाव शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना

अंकेक्षण अवधि के दौरान भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन मन्दिर प्रशासन द्वारा नहीं करवाया गया था, नियमानुसार प्रत्येक वर्ष भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

30. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

31. **निष्कर्ष :–** मन्दिर न्यास की रोकड़ बही व अन्य लेखों के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)202/99–खण्ड–3–5463–5466 दिनांक–:21.08.2018 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल मन्दिर डमटाल, तह0 नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
3. निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09
4. अवर सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–09

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट–''A''

पैरा संख्या 1(घ)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12.3.1996 से 31.12.1998

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत अनिर्णीत
1	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत
4	पैरा 13	अनिर्णीत
5	पैरा 20	अनिर्णीत
6	पैरा 21	अनिर्णीत
7	पैरा 24	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2000 से 12/2000

1	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2002

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2004

1	पैरा 6	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2008

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2009 से 12/2010

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 14	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2012

1	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 12	अनिर्णीत
3	पैरा 13	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 15	अनिर्णीत
6	पैरा 16	अनिर्णीत
7	पैरा 17	अनिर्णीत

7.	पैरा 19(ख)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 20	अनिर्णीत	
9.	पैरा 21(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 22(क)(ख)	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2013 से 12/2014

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क)
2	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 6 (क)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा 6 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा 7	अनिर्णीत	
7	पैरा 8	अनिर्णीत	
7.	पैरा 9	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
8.	पैरा 10	निर्णीत	(–यथोपरि–)
9.	पैरा 11	निर्णीत	(–यथोपरि–)
10.	पैरा 12 (क, ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
11.	पैरा 13	निर्णीत	(–यथोपरि–)
12.	पैरा 14	अनिर्णीत	
13.	पैरा 15 (क, ख)	अनिर्णीत	
14.	पैरा 16	अनिर्णीत	
15.	पैरा 17	अनिर्णीत	
16.	पैरा 18	अनिर्णीत	
17.	पैरा 19 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 20 (क, ख)	अनिर्णीत	
19.	पैरा 21 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
20.	पैरा 22 (क)	अनिर्णीत	
21.	पैरा 23 (क)	अनिर्णीत	

22.	पैरा 23 (ख)	अनिर्णीत	
23.	पैरा 24 (क)	निर्णीत	
24.	पैरा 24 (ख)	अनिर्णीत	
25.	पैरा 25	अनिर्णीत	
26.	पैरा 26	अनिर्णीत	
27.	पैरा 27	अनिर्णीत	
28.	पैरा 28	अनिर्णीत	
29.	पैरा 29	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	59
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	27
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	11
अन्तशेष	75